

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक **10 JUL 2025**

File No. ESTB-1024(1)/405/2025-EXCISE :- राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंव एन्टी कर्प्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों (लोक सेवाक) के विरुद्ध विवेचना में धारा-7, 12 एंव 13(घ) (i)(ii)(iii) तथा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) तथा धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भादवि में माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला रायपुर में, अभियोग पत्र क्रमांक-03(डी)/2025, दिनांक 07.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

2/ अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार, निम्नांकित उपायुक्त आबकारी को माननीय न्यायालय में चलाने प्रस्तुति के दिनांक 07.07.2025 से निलंबित करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिमेष नेताम	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, रायपुर सभाग रायपुर एवं अतिरक्ति प्रभार उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, दुर्ग सभाग दुर्ग
2	श्री अरविन्द कुमार पाटेल	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
3	श्रीमती नीतू नौतानी	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
4	श्री नोहर सिंह ठाकुर	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, बिलासपुर सभाग बिलासपुर
5	श्री विजय सेन शर्मा	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, सरगुजा सभाग अम्बिकापुर

2/ निलंबन अवधि में उक्त अधिकारियों का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Devendra Singh Bhardwaj
Date: 10-07-2025
13:33:02

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक **10 JUL 2025**

File No. ESTB-1024(2)/484/2025-EXCISE : राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों (लोक संवर्क) के विरुद्ध धिक्कना में धारा-7, 12 एवं 13(घ) (i)(ii)(iii) तथा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित) तथा धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भादवि में माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला रायपुर में अभियोग पत्र क्रमांक-03(डी)/2025, दिनांक 07.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

2/ अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार, निम्नांकित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी को माननीय न्यायालय में बालान प्रस्तुति के दिनांक 07.07.2025 से निलंबित करता है :-

क्र	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
2	श्री मरीचपाल सिंह दर्दा, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-राजनांदगाव
3	श्री इकबाल अहमद खान, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-द.ब. दत्तवाड़ा
4	श्री जनादन सिंह कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी	राज्य स्तरीय उछनदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
5	श्री नितिन कुमार खण्डूजा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बेमतरा

2/ निलंबन अवधि में उक्त अधिकारियों का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Devendra Singh Bhardwaj
Date: 10-07-2025
13:34:32

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक **10 JUL 2025**

File No. ESTB-1024(1)/406/2025-EXCISE :: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंव एन्टी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों (लोक सेवक) के विरुद्ध विवेचना में धारा-7, 12 एवं 13(घ) (i)(ii)(iii) तथा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित) तथा धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. में माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला रायपुर में, अभियोग पत्र क्रमांक-03(डी)/2025, दिनांक 07.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

2/ अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार, निम्नांकित सहायक आयुक्त आबकारी को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुति के दिनांक 07.07.2025 से निलंबित करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रमोद कुमार नेताम	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बेमतरा
2.	श्री विकास कुमार गोस्वामी	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, सरगुजा सभाग अम्बिकापुर
3.	श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
4.	श्री राजेश जायसवाल	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मुंगेली
5.	श्रीमती मजुश्री कसेर	कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (मुख्यालय)
6.	श्री दिनकर वासनिक	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7.	श्री आशीष कोसम	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, बस्तर सभाग जगदलपुर
8.	श्री सौरभ बख्शी	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
9.	श्री प्रकाश पाल	राज्य स्तरीय उडनदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10.	श्री रामकृष्ण मिश्रा	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर

....2/

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
11	श्री अलेख राम सिदार	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-जाजगीर चापा
12	श्रीमती सोनल नेताम	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सारगढ बिलाईगढ

2/ निलबन अवधि में उक्त अधिकारियों का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Devendra Singh Bhardwaj
Date: 10-07-2025
13:33:49

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

File No. ESTB-1024(1)/406/2025-EXCISE

नवा रायपुर, दिनांक 10 JUL 2025

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 2 मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 4 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- 5 आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- 6 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
- 7 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला- (छ ग)।
- 9 प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उडनदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- 10 उपायुक्त आबकारी, सभागीय उडनदस्ता, समस्त सभाग, छत्तीसगढ़।
- 11 उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर (छ ग)।
- 12 जिला आबकारी अधिकारी, जिला- (छ ग)।
- 13 जिला कोषालय अधिकारी, जिला- (छ ग)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14 संबंधित अधिकारी, श्री/श्रीमती की ओर पालनार्थ।

15 आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
KRISHNLAL KASHYAP
Date: 10-07-2025
13:40:21